from the funding departments i.e., Department of Space, Defence Research & Development Organisation, Council of Scientific & Industrial Research, Department of Science & Technology, Department of Electronics and Department of Environment & Forest. An autonomous institution called National MST Radar Facility (NMRF) has been created by the Government of India for maintaining and operating the t'aciliy and ensuring its scientific utilisation in the coming decade or more.

प्रतिभाशाली व्यक्तियों का पलायन

644. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से प्रतिवर्ष कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्त युवा रोजगार की तलाश में विदेशों को पलायन करते हैं और ऐसे लोगों की प्रतिशतता कितनी है जो कि स्थायी रूप से वहीं बस जाते हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उठाये गए इन कदमों से प्रतिभा पलायन में किसी प्रकार की कोई रोक लगी है, यदि नहीं तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कानून बनाने पर विचार करेगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) कुल भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद दूसरे देशों में जाते हैं । लेकिन, उनका रिकार्ड रखना संभव नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रतिभा पलायन को रोकने और विदेशों में बसे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को भारत में लौटने के लिए भी आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । उनमें से कुछेक इस प्रकार है :

उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में बढ़ोतरी करना ।

नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन करना ।

विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में उत्कर्ष/उच्च अध्ययनों के लिए अधिक केन्द्रों की स्थापना करना ।

देश में औद्योगिक यूनिटों की स्थापना करने के लिए अनिवासी भारतीयों को सहायता देने हेतु उद्योग मंत्रालय में एक विशेष सैल का गठन करना । कुछ राज्यों ने भी इसके लिए विशेष सैलों और विभागों की स्थापना की है ।

वैज्ञानिक पूल की स्कीम के अंतर्गत वैज्ञानिकों और टैक्नोक्रैटों की अस्थायी तैनाती का प्रावधान करना ।

अधिसंख्य पदों का सृजन करना ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी एवं उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता देने के लिए अल्पावधि तकनीकी नियुक्तियों पर विदेशों में बसे भारतीय मूल के प्रतिष्ठित पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित करना ।

विज्ञान के नए और अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं सहित व्यावसायियों के अंतर समूहों का गठन करना ।

उद्यमवृत्ति विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण ।

वैज्ञानिकों की कार्यदशाओं में सुधार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों को वर्धित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करना ।

विदेशों से लौटने वाले व्यावसायियों को उपस्कर के आयात में सुविधाएं सुलभ करना ।

एसोसिएटशिप/फैलोशिप/पाठ्यक्रमों के जरिये कार्मिक शक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनरप्रशिक्षण कार्यक्रम ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वैज्ञानिकों की भर्ती

645. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "सी० एस० आई० आर० रिक्रूट्स 56 आइडियल साइंटिस्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इन 56 वैज्ञानिकों को हाल ही में नियुक्त किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इन वैज्ञानिकों के वार्षिक वेतन की धनराशि कितनी है और क्या इन वैज्ञानिकों को कोई कार्य सौंपा गया है; और

(घ) इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी हां ।

(ख) ये नियुक्तियां हाल ही में नहीं की गई । 13 अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों सहित 51 वैज्ञानिकों ने पहले दिए गए विज्ञापनों के आधार पर वर्ष 1989—1991 के बीच

केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद (सी०एस०आई०आर० की एक घटक प्रयोगशाला) में कार्यभार ग्रहण किया था ।

(ग) एक वैज्ञानिक का कुल औसत वार्षिक वेतन लगभग 54,000 रुपए है । वैज्ञानिकों को यथाविधि कार्य दिया गया और प्रयोगशाला के अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए उनकी सेवाओं का प्रभावशाली रूप से उपयोग किया गया ।

(घ) वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग मुख्यत: उद्योग द्वारा निर्दिष्ट समस्याओं के अलावा प्रयोगशाला की प्रघात क्षेत्रीय (थ्रस्ट एरिया) परियोजनाओं, प्रायोजित परियोजनाओं, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निर्दिष्ट वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक परियोजनाओं और अन्य अवसंरचनात्मक सेवाओं के लिए किया गया । इनमें से अनेक परियोजनाएं और विशेषत: उद्योग द्वारा निर्दिष्ट परियोजनाएं सन्तोषजनक रूप से पूरी कर ली गई हैं । प्रघात क्षेत्रीय परियोजनाएं 1995 तक पूरी हो जाने की आशा है ।

Proposal for Building Giant Radio Telescope at Khadod

646. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to build a Giant radio telescope at Khadod, near Pune; and

(b) if so, what are the details thereof and when the same is likely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRl BHUVNESH CHATURVEDI): (a) Giant Meter Wave Radio Telescope (GMRT) is being set up at Khadod near Narayangaon, about 80 kms north of Pune, by the Tata Institute of Fundamental Research which is a fully aided institution under the aegis of the Department of Atomic Energy.

(b) GMRT will be the world's largest Radio Telescope operating in the frequency range of 30—1500 MHz. The telescope will enable advanced research in the fields of astronomy and astrophysics. The telescope is being built indigenously. Out of the total 30 antennae, 8 have already been erected and two are already operating. All the 30 antennae will be completed by end 1994. The project is estimated to cost Rs. 4320 crores with a small foreign exchange component of only about 17% although it is a state of the art radio telescope. It is expected to be completed fully by end 1994.

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Sir, the brutal attack ...

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Sir, questions raised on the alleged statement made by Mr. Bhardwaj were left unanswered yesterday. They remained inconclusive. You may kindly ask Mr. Bhardwaj to complete his answer. The House was adjourned abruptly.

(The Deputy Chairman in the Chair]

उपसभापति (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साडिना ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let the papers be laid first. **फिर उसके बाद बोल लीजिएगा ।** सिकन्दर साहब, पहले कागज़ रख दें

12.00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report and Accounts, (1991-92) of the Pawan Hans Ltd., New Delhi and related papers

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION & TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): Madam, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the
following papers, under sub-section (1) of sec tion 619A of the Companies Act, 1956:—

(0 Annual Report and Accounts of the Pawan Hans Limited, New Delhi, for the year 1991-92, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller-and Auditor General of India thereon.

(ii) Statement by Government accepting 3 the above Report.

II. Statement (in English and Hindi)giving reasons for the delay in laying the papers men tioned at (I) above. (Placed in Library. *See* No.
LT.
4222/93]

NOTIFICATIONS OF THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI HANSRAJ BHARDWAJ) : Madam, I lay on the Table, under sub-section (3) of section 642 of the Companies